

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक— (70) / 11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/20685/2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 10, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
केन्द्रीय भवन, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

विषय— जनपद—कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

संदर्भ— आपके कार्यालय का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/108/2016/एफ0सी0/431, दिनांक 18.01.2017

महोदय,

आपके कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में इंगित कमियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक—1485/5-8, दिनांक 04.02.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचना/अभिलेख आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. विशेष सचिव, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्न सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

8/c